संख्या-123/2019/2023/26-3-2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल 2019

विषयः **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत देय पेंशन इत्यादि की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4 (415)/90 टी.सी.-I, दिनांक-10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-11/2015/1142/ 26-2-2015, दिनांक-19.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-10.09.2014 के प्रस्तर-1(8) को संशोधित करते हुये सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय पेंशन इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन का त्रैमासिक भुगतान निम्नानुसार किया जायः-

1-	प्रथम त्रैमासिक किश्त	-	31 जुलाई तक
2-	द्वितीय त्रैमासिक किश्त	-	30 सितम्बर तक
3-	तृतीय त्रैमासिक किश्त	-	31 दिसम्बर तक
4-	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त	-	31 मार्च तक

3- संशोधन के उपरांत उपरोक्त शासनादेश संख्या-1539/ 26-3-2014-4 (415)/90 टी.सी.-I, दिनांक-10.09.2014 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव ।

पृ0सं0-123/2019/2023 (1)/26-3-2019 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/महिला कल्याण/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
6- संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी0एफ0एम0एस0, नई दिल्ली।
7- महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गवर्नमेन्ट बिजनेस, लखनऊ।
8- नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/महिला कल्याण/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीगण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in